उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-49/2015/वे0आ0-2-735/दस-2015-4/2013

लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश की मॉगों पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16 जुलाई, 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुयी बैठक में मॉग संख्या-8 जो कि मा0 उच्च न्यायालय में तयशुदा कर्मचारी, संग्रह अमीन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा लिपिकीय संवर्ग की मॉगों पर यथावश्यक आदेश तत्काल जारी करने के सम्बन्ध में है, पर विचार कर संस्तुति देने हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:---

1	वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य

2- उक्त समिति द्वारा विचारोपरान्त अपनी संस्तुतियॉं शीघ्र शासन को प्रस्तुत की जायेंगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>संख्या-49/2015/वे0आ0-2-735(1)/दस-2015-4/2013,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव,वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in